वक्त आ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 09 / 2014

अपीलान्ट

देवी पुत्री करणीया जाति भील

निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा।

उत्तरदातागण

1. बगदाराम उर्फ बगदिया पुत्र फूसाजी कौम मेगवाल निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा।
2. ग्राम पंचायत असाड़ा जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 25.09.1970 को पारित आदेश ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा ।

उपस्थितिः– 1. श्री चेलाराम वकील अपीलान्ट

2. श्री देवीसिंह महेचा वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 12.02.2021

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा असाड़ा के खेत खसरा नम्बर 628 रकबा 70–07 बीघा का आया हुआ है, जिसमें करणिया, बगदिया पि0 फूसा का 1/3 हिस्सा, खीमला,मांगीया, पि0 तारिया का 1/3 हिससा, नथा पुत्र गिरधारी का 123 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है, अपीलांट के पिता करणीया पुत्र फूसा का उपरोक्त खसरे की भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी का था, रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 बगदिया स्वर्गीय करणीया का सगा भाई है, बगदिया का देहान्त हिन्दु उत्ताधिकार अस्तित्व में आने के पश्चात 1978 में देहान्त हुआ तब करणीया के वारिसान में अपीलान्ट पुत्री देवी एवं वरजु पत्नि सर्वगीय करणीया अर्थात अपीलान्ट की माता जिवित थे। करणिया के फौतगी के समय ग्राम कलावा के खसरा नम्बर 484 का नामान्तरकरण उसकी पत्नि वरजू के नाम से भरा गया तथा वरजू की फौतगी पर अपीलान्ट के नाम भरा गया है। तथा इसी करणीया के फौतगी पर हल्का पटवारी के द्वारा रेस्पोडेंट सेख्या 01 से मिलावट कर करणीया के जाईन्दा पुत्र नहीं होने से बगदिया के नाम नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 25.09.1970 को स्वीकृत कर दिया गया। करणीया की धर्मपत्नि वरजू का भी देहान्त हो चुका है। करणीया पुत्र फूआ के वफात के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार करणीया पुत्र फूआ के 1/6 हिस्से के हकदार उसके उत्ताधिकारी पत्नि वरजू एवं पुत्री देवी बराबर हक हिस्से की हुई तथा करणीया का 1/6 हिससा उसके वारिसान में निहित होकर खातेदार काश्तकार हुए। अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 25.09.1978 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

उत्तरदाता संख्या 02 [illegible] से अपील का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा अ[illegible] 70–07 बीघा में करणीया व बगदिया पि0 फूसा का संवत 2020 से 2023 [illegible] नामान्तरकरण भरा गया जो क[illegible] करणाराम द्वारा अपने भाई बगदिया उर्फ बगदाराम को ज[illegible] बंटवाड़ा कर हक हिस्सा 1/[illegible] में बगदाराम का अमलदरामद कियरा गया। नामान्तरकरण के वक्त वरजू देवी का पालन पोषण बगदाराम के द्वारा किया गया तथा करनाराम फोत होने पर उसके 12 वे दिन व गंगा परसादी का कार्य एवं देवी का विवाह बगदाराम के द्वारा किया गया। जिससे खुश होकर वरजू देवी द्वारा भी नामान्तरकरण के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 19:03:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वक्त अपनी सहमति जाहिर की और करणीया का हक हिस्सा नामान्तरकरण बगदिया के नाम करवाया गया लेकिन वर्तमान में भूमि की कीमते बढने से देवी पुत्रों केलालच में आकर गलत रूप से अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिल निरस्त के है। राजस्व गांव कलावा के खसरान का नामान्तरकरण जरिये बंटवाडा, हकतर्क, वसीयत से करणिया के फोत होने के बाद करणीया की पत्नि वरजू देवी के नाम भरा गया एवं वरजू देवी फौत होने पर देवी के नाम नामान्तरकरण भरा गया जबकि अपीलांट का कोई हक अधिकार नहीं होने से काबिल खारिज के है।

उत्तरदाता के अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर पेश करने से तथा ग्राम पंचायत को बिना विधिक नोटिस दिये अपील पेश की गई है, जो विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाई जावे।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि करणीया पुत्र फूआ की मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार करणीया पुत्र फूआ के 1/6 हिस्से के हकदार उसके उत्तराधिकारी पत्नि वरजू एवं पुत्री देवी बराबर हक हिस्से के हकदार थी, करणिया के फौतगी के समय ग्राम कलावा के खसरा नम्बर 484 का नामान्तरकरण उसकी पत्नि वरजू के नाम से भरा गया तथा वरजू की फौतगी पर अपीलान्ट देवी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 529 भरा गया है। तथा इसी करणीया के फौतगी पर ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा मौजा असाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 25.09.1970 को स्वीकृत कर दिया गया। जो विधि वारस्तिान के बिल्कुल विपरित विधि से विरूद्व है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा मौजा असाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 25.09.1970 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्वर्गीय करणीया के विधिक उत्तराधिकारी की जांच स्वंय करवाते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 12.02.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 19:03:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner